रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032024-252599
CG-DL-E-05032024-252599

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 5, 2024/फाल्गुन 15, 1945
No. 143] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 5, 2024/PHALGUNA 15, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2024

सा.का.नि. 155(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 44कख और धारा 92ङ के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में,-

क). प्ररूप संख्या 3गघ में,-

(i) भाग क में, खंड 8क में "115खकघ" अंकों और अक्षरों के स्थान पर "115खकघ/115खकङ" अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) भाग ख में,-

अ. खंड 12 में “44कघ” अंकों और अक्षरों के स्थान पर “44कघ,44कघक” अंक और अक्षर रखे जाएंगे ; और

आ. खंड 18 के उपखंड (गक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(गक) अवलिखित मूल्य में किया गया समायोजन-

(i) धारा 115खकक की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन (केवल निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए) ;

(ii) धारा 115खकग की उपधारा (3) के पहले परंतुक के अधीन या धारा 115खकघ की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन (केवल निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए) ;

(iii) धारा 115खकग की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक के अधीन (केवल निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए) ।” ;

इ. खंड 19 में, सारणी में,-

(i) प्रविष्टि “35(2कख)” वाली पंक्ति के पश्चात् प्रविष्टि “35कखक” प्रविष्टि वाली पंक्ति अंतःस्थापित की जाएगी ;

(ii) प्रविष्टि “35ङ” वाली पंक्ति के पश्चात् “कोई अन्य सुसंगत धारा” प्रविष्टि सहित पंक्ति अंतःस्थापित की जाएगी ;

ई. खंड 21 में,-

(I) उपखंड (क) में सारणी में ‘प्रकृति’ से संबंधित स्तंभ के अधीन,-

(i) “तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के माध्यम से व्यय” शब्दों के स्थान पर “किसी प्रयोजन के लिए व्यय, जो कोई अपराध है या जिसे किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है या किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के माध्यम से व्यय (भारत में या भारत से बाहर अधिनियमित)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) “किसी अन्य शास्ति या जुर्माना, जो पूर्वोक्त में नहीं आता है, के माध्यम से व्यय” शब्दों वाली पंक्ति के पश्चात् “भारत में या भारत से बाहर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के उपशमन पर उपगत व्यय” शब्दों वाली पंक्ति अंतःस्थापित की जाएगी ;

(iii) “किसी प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो कोई अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है” शब्दों के स्थान पर “किसी व्यक्ति को, जो कोई कारबार या वृत्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसी फायदे या परिलब्धि पर उपगत व्यय और ऐसे व्यक्ति द्वारा, ऐसे फायदे या परिलब्धि की स्वीकृति तत्समय प्रवृत्त, यथास्थिति, किसी विधि या नियम या विनियम या दिशानिर्देश, जो ऐसे व्यक्ति के आचरण को शासित कर रहे है, के उल्लंघन में है,” शब्द रखे जाएंगे ;

(II) उपखंड (ख) में, पैरा (ii) के उपपैरा (अ) की मद (IV) में “संदाय करने वाला” शब्दों के स्थान पर “पाने वाला” शब्द रखे जाएंगे ;

उ. खंड 26 में “(च) या (छ)” कोष्ठक, अक्षर और शब्द के स्थान पर “(च), (छ) या (ज)” कोष्ठक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ;

ऊ. खंड 32 के उपखंड (क) में,-

(I) सारणी के स्तंभ (5) में "115खकघ" अंकों और अक्षरों के स्थान पर "115खकघ/115खकङ" अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(II) सारणी के स्तंभ (6) में "115खकघ" अंकों और अक्षरों के स्थान पर "115खकघ/115खकङ" अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(III) सारणी के नीचे "केवल निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए भरा जाना है" शब्दों के स्थान पर "केवल निर्धारण वर्ष 2021-22 और निर्धारण वर्ष 2024-25, यथालागू के लिए भरा जाना है" शब्द रखे जाएंगे ;

ख) प्ररूप संख्या 3गङख में, उसके उपाबंध में, भाग-ग (विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार) में क्रम संख्या 25 को उसकी क्रम संख्या 26 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित क्रम संख्या 26 से पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"25.	धारा 115खकङ की उपधारा (4) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के बीच संव्यवहार किए गए किसी कारबार की प्रकृति के विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के संबंध में विशिष्टियां : क्या निर्धारिती ने 115खकङ की उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के साथ कोई विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार किया है जिसका परिणाम ऐसे कारबार में मामूली तौर पर प्रत्याशित लाभ से अधिक के रूप में हुआ है ? यदि 'हां' तो निम्नलिखित ब्यौरे दें : (क) उस व्यक्ति का नाम जिसके साथ विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार किया गया है । (ख) मात्रात्मक ब्यौरों सहित संव्यवहार का विवरण, यदि कोई हों । (ग) संव्यवहार में प्राप्त या प्राप्तव्य या संदत्त या संदेय कुल रकम – (i) लेखाबहियों के अनुसार ; (ii) सन्निकट मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारिती द्वारा संगणित के अनुसार । (घ) सन्निकट मूल्य का अवधारण करने में प्रयोग किया गया ढंग [धारा 92ग की उपधारा (1) देखें]	हां/नहीं ।"

ग) प्ररूप संख्या 65 में,-

(i) "सत्यापन" शीर्ष के अधीन, खंड (4) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5) *मैं प्रमाणित करता हूं कि आवेदक कंपनी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की एक इकाई है और उसमें उस तारीख से तीन मास के भीतर आवेदन फाइल किया है जिसको आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80 ठक के अधीन कटौती और आगे लागू नहीं है ।";

(ii) उपाबंध में भाग क में में खंड 6 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"6. तारीख, जिसको कंपनी अर्हक कंपनी बन गई थी [केवल उस कंपनी की दशा में दिया जाना है, जो आरंभिक अवधि के पश्चात् अर्हक कंपनी बना जाती है] (दावे के समर्थन में साक्ष्य संलग्न करें)

6अ. (क) क्या कंपनी में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80ठक के अधीन कटौती का लाभ लिया है?

(ख) यदि हां तो कृपया वह तारीख विनिर्दिष्ट करें, जिसको ऐसी कटौती और आगे लागू नहीं हो?"।

[अधिसूचना सं. 27/2024/ फा. सं. 370142/3/2024-टीपीएल]

खुशबू लाठर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 153(अ) तारीख मार्च 1, 2024 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2024

G.S.R. 155(E).— In exercise of the powers conferred by section 295 read with sections 44AB and 92E of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Fourth Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix II,—

a) in Form No. 3CD,—

(i) in PART A, in clause 8a, for the figures and letters "115BAD", the figures and letters "115BAD/115BAE" shall be substituted;

(ii) in PART B,—

A. in clause 12, for the figures and letters "44AD", the figures and letters "44AD, 44ADA" shall be substituted;

B. in clause 18, for sub-clause (ca), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—

"*(ca) Adjustment made to the written down value—*

(i) under the proviso to sub-section (3) of section 115BAA (for assessment year 2020-21 only);

(ii) under the first proviso to sub-section (3) of section 115BAC or the proviso to sub-section (3) of 115BAD (for assessment year 2021-22 only);

(iii) under the second proviso to sub-section (3) of section 115BAC (for assessment year 2024-25 only).";

C. in clause 19, in the table,—

(i) after the row with entry "35(2AB)", the row with entry "35ABA" shall be inserted;

(ii) after the row with entry "35E", the row with entry "any other relevant section" shall be inserted;

D. in clause 21, —

(I) in sub-clause (a), in the table, under the column relating to 'Nature',—

(i) for the words "Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being force", the words and brackets "Expenditure for any purpose which is an offence or is prohibited by law or expenditure by way of penalty or fine for violation of any law (enacted in India or outside India)" shall be substituted;

(ii) after the row with the words "Expenditure by way of any other penalty or fine not covered above", the row with the words "Expenditure incurred to compound an offence under any law for the time being in force, in India or outside India" shall be inserted;

(iii) for the words "Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law", the words "Expenditure incurred to provide any benefit or perquisite, in whatever form, to a person, whether or not carrying on a business or exercising a profession, and acceptance of such benefit or perquisite by such person is in violation of any law or rule or regulation or guideline, as the case may be, for the time being in force, governing the conduct of such person" shall be substituted;

(II) in sub-clause (b), in paragraph (ii), in sub-paragraph (B), in item (IV), for the word "payer", the word "payee" shall be substituted;

E. in clause 26, for the brackets, letters and word "(f) or (g)", the brackets, letters and word "(f), (g) or (h)" shall be substituted;

F. in clause 32, in sub-clause (a),—

(I) in the table, in column (5), for the figures and letters "115BAD", the figures and letters "115BAD/115BAE" shall be substituted;

(II) in the table, in column (6), for the figures and letters, "115BAD^", the figures and letters "115BAD/115BAE^" shall be substituted;

(III) below the table, for the words and figures "To be filled in for assessment year 2021-22 only.", the words and figures "To be filled in only for assessment year 2021-22 and 2024-25, as applicable.", shall be substituted;

b) In Form No. 3CEB, in the Annexure thereto, in Part C (Specified domestic transaction), serial number 25 shall be re-numbered as serial number 26 thereof and before serial number 26 as so renumbered, the following shall be inserted, namely:—

"**25.**	*Particulars in respect of specified domestic transaction in the nature of any business transacted between the persons referred to in sub-section (4) of section 115BAE:* Has the assessee entered into any specified domestic transaction with any person referred to in sub-section (4) of section 115BAE which has resulted in more than ordinary profits expected to arise in such business? If 'yes', provide the following details : *(a)* Name of the person with whom the specified domestic transaction has been entered into. *(b)* Description of the transaction including quantitative details, if any. *(c)* Total amount received or receivable or paid or payable in the transaction– *(i)* as per books of account; *(ii)* as computed by the assessee having regard to the arm's length price. *(d)* Method used for determining the arm's length price [*See* sub-section (1) of section 92C].	Yes/No.";

c) In Form No. 65,—

(i) under the heading "Verification", after clause (4), the following clause shall be inserted, namely:—

" (5) *I certify that the applicant company is a unit of an International Financial Services Centre and has filed the application within three months from the date on which the deduction under section 80LA of the Income- tax Act, 1961 is no longer applicable.";

(ii) in the Annexure, in PART A, for clause 6, the following clauses shall be substituted, namely:—

" 6. Date on which the company became a qualifying company [to be given only in case of a company which becomes a qualifying company after the initial period] (enclose evidence in support of the claim)

6A. (a) Has the applicant company availed of deduction under section 80LA of the Income- tax Act, 1961?

(b) If so, please specify the date on which such deduction is no longer applicable?".

[Notification No. 27/2024 /F. No. 370142/3/2024-TPL]

KHUSHBOO LATHER, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R 153 (E), dated the 1st March, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA